



कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226007

संदर्भ संख्या :/सम्ब. अनु./2019

दिनांक :

कार्यालय-ज्ञाप

प्राचार्य/प्राचार्या,

लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त समस्त महाविद्यालय,
लखनऊ।

महोदय/महोदया,

कृपया आपके महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में कार्यरत संविदा पर शिक्षकों के सम्बन्ध में यह संज्ञान में लाया गया है कि महाविद्यालय द्वारा उन्हें शासनादेश संख्या संख्या : 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013, दिनांक 30 मई, 2013 एवं शासनादेश संख्या 392(1)/सत्तर-2-2018 दिनांक 10.09.2018 की व्यवस्थानुसार उन्हें वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि महाविद्यालय में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में निम्न प्रारूप पर सूचना/आख्या साक्ष्यों सहित दिनांक 08.04.2019 तक कुलसचिव कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

1. महाविद्यालय का नाम :
2. महाविद्यालय की स्थिति :
(अनुदानित/स्ववित्तपोषित)
3. महाविद्यालय में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम की सूचना :-

तालिका-1

क्रमांक	स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम का नाम	स्वीकृत प्रवेश क्षमता	कुल प्रवेशित विद्यार्थियों की जन संख्या (सभी वर्षों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का योग)	निर्धारित शुल्क (रु० में)	कुल शुल्काय (रु० में)	अन्य आय (यदि कोई हो)	योग (रु० में)	75 से 80 प्रतिशत शुल्काय का अंश (रु० में)

तालिका-2

क्रमांक	स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम का नाम	अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या		प्रति शिक्षक को देय वेतन	सी०पी०एफ० कटौती की धनराशि (रु० में)		
		अनुमोदित	कार्यरत		शिक्षक से	महाविद्यालय का अंशदान	योग (रु० में)

भवदीय

(एस०के० शुक्ल)
कुल सचिव

संख्या : AF/5994-96 दिनांक : 25/03/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति को मा० कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा (अनुभाग-1), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. ☒ इंचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर सेन्टर, ल०वि०वि० को पत्र दिनांक 16.10.2018 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त महाविद्यालयों को ई-मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाईल।

(एस०के० शुक्ल)
कुल सचिव